



## केबल टेलीवज़िन नेटवर्क (वनियिमन) अधनियिम, 1995

### चर्चा में क्यों?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting) ने डांस आधारति रयिलटि शो में बच्चों के डांस संबंधी प्रदर्शन पर संज्ञान लेते हुए नज़ि उपग्रह टीवी चैनलों को परामर्श जारी कयि है।

### प्रमुख बदि

- मंत्रालय द्वारा जारी परामर्श में सभी नज़ि उपग्रह टीवी चैनलों से अपेक्षा की गई है कवि इस संबंध में केबल टेलीवज़िन नेटवर्क (वनियिमन) अधनियिम, 1995 [Cable Television Network (Regulation) Act, 1995] के तहत नरिधारति कार्यक्रम और वजिज़ापन संहतिओं में नहिति प्रावधानों एवं नयिमों का पालन करेंगे।

### केबल टेलीवज़िन नेटवर्क (वनियिमन) अधनियिम, 1995 के अनुसार

- टीवी पर कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं दखिया जाना चाहिये जो बच्चों की छविको खराब करता हो।
- ऐसे कार्यक्रमों में कसिी तरह की अभ्रद भाषा और हसिक दृश्यों का प्रयोग भी नहीं होना चाहिये।
- ऐसे कार्यक्रमों में कसिी तरह की अभ्रद भाषा और हसिक दृश्यों का प्रयोग भी नहीं होना चाहिये।
- नज़ि उपग्रह चैनलों को जारी परामर्श में कहा गया है कवि नृत्य वाले रयिलटि शो या ऐसे ही अन्य कार्यक्रमों में बच्चों को ऐसे गलत तरीकों से पेश नहीं करें जसिसे उनकी छवि खराब होती हो। मंत्रालय ने चैनलों को इस बारे में अधिकितम संयम, संवेदनशीलता और सतर्कता बरतने की सलाह दी है।

### क्यों ज़रूरी था परामर्श जारी करना

- सूचना और प्रसारण मंत्रालय का मानना है ककिई डांस आधारति रयिलटि टीवी शो ऐसे हैं जनिमें छोटे बच्चों को ऐसे नृत्य करते दखिया जाता है जो मूल रूप से फलिमों और मनोरंजन के अन्य लोकप्रयि माध्यमों में वयस्कों द्वारा कयि जाते हैं।
- इस प्रकार के नृत्य अक्सर उत्तेजक होने के साथ ही बच्चों की उम्र के अनुकूल भी नहीं होते हैं। इस तरह के कृत्य छोटी-सी उम्र में बच्चों पर चतिाजनक और बेहद तनावपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।

### अधनियिम के बारे में

- टीवी चैनलों पर प्रसारति होने वाले सभी कार्यक्रमों एवं वजिज़ापनों (जनिका प्रसारण/पुनः प्रसारण केबल टीवी नेटवर्क के माध्यम से कयि जाता है) के लयि केबल टीवी नेटवर्क (वनियिमन) अधनियिम, 1995 और उसके अधीन बनाए गए नयिमों में दयि गए प्रावधानों का अनुपालन करना अनविर्य होता है।
- केबल नेटवर्क (वनियिमन) अधनियिम, 1995 और उसके अंतरगत बनाए गए नयिमों के प्रावधान कषेत्रीय भाषा चैनलों सहति सभी नज़ि सैटेलाइट/केबल टीवी चैनलों पर लागू होते हैं।
- उक्त कार्यक्रम संहति में उन समस्त सदिधांतों का नरिधारण कयि गया है जनिका इन टीवी चैनलों द्वारा अनुपालन कयि जाना आवश्यक होता है। यदनिज़ि सैटेलाइट/केबल टीवी चैनलों द्वारा समाचारों सहति अन्य कार्यक्रमों के प्रसारण से संबंधति कोई मामला पाया जाता है, तो उक्त अधनियिम के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

### शकियतों की जाँच के लयि अंतर-मंत्रालयी समति

- कार्यक्रम एवं वजिज़ापन संहतिओं के उल्लंघन के वरिद्ध प्राप्त होने वाली वशिषिट शकियतों की जाँच करने अथवा उनका स्व-प्रेरणा से संज्ञान लेने के लयि एक अंतर-मंत्रालयी समति (Inter-Ministerial Committee-IMC) का गठन कयि गया है तथा कसिी प्रकार का उल्लंघन सत्यापति हो जाने पर उक्त अधनियिम और उसके अंतरगत बनाए गए नयिमों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

- इस अंतर-मंत्रालयी समितिमें गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs), रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defense), वदिश मंत्रालय (Ministry of External Affairs), वधि मंत्रालय (Ministry of Law), महिला व बाल वकिस मंत्रालय (Ministry of Women and Child Development), स्वास्थ्य और परवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare), उपभोक्ता मामले मंत्रालय (Ministry of Consumer Affairs) एवं भारतीय वज्जापन मानक परषिद (Advertising Standards Council of India- ASCI) के परतनिधि शामिल होते हैं ।

**स्रोत: पी.आई.बी**

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/cable-television-network-act-1995>